



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I),**  
**KERALA, THIRUVANANTHAPURAM**



सं.प्रशा.(ले प)/III/एमएसीपीएस/खंड XII

दिनांक:: 14.11.2024

**अनुभागीय आदेश सं. 258/SECTIONAL ORDER No. 258**

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं, जो प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावी होंगे।

Financial upgradation under MACP Scheme for Central Government employees has been granted to the following Senior Audit Officers with effect from the date noted against each.

क्रम सं. Sl. No.	नाम (श्री/श्रीमती) Name (Shri./Smt.)	वर्तमान स्तर Existing Level	नवीन स्तर New Level	पात्रता दिनांक Date of Eligibility	उन्नयन स्थिति Status of Upgradation
1.	अनिलकुमार जी Anilkumar G	स्तर 10 Level 10	स्तर 11 Level 11	01.11.2024	द्वितीय एमएसीपी 2 <sup>nd</sup> MACP
2.	राजीव एन (परि.) Rajeev N (Deptn)	स्तर 10 Level 10	स्तर 11 Level 11	04.11.2024	द्वितीय एमएसीपी 2 <sup>nd</sup> MACP
3.	अजी वी एस Aji VS	स्तर 10 Level 10	स्तर 11 Level 11	14.11.2024	द्वितीय एमएसीपी 2 <sup>nd</sup> MACP

पदोन्नति दिए जाने पर वेतन निर्धारण का लाभ भी एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय दिया जाएगा। यदि वे एफआर 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

The benefit of pay fixation on grant of promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under MACP Scheme. If they intend to exercise option under FR 22(I)(a)(1), they should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.


योजना के तहत वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, वित्तीय और कुछ अन्य लाभ जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन से जुड़े हैं जैसे कि एचबीए, सरकारी आवास का आवंटन आदि की अनुमति होगी।

On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Govt. accommodation shall be permitted.

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत होगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। योजना के तहत वेतन निर्धारण के कारण वरिष्ठ की तुलना में कनिष्ठ को अधिक वेतन मिलने पर वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

Financial upgradation under MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to their seniority position. No stepping up of pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under the Scheme.

(प्रधान महालेखाकार के दिनांक 29.08.2024 के आदेशानुसार)  
(Vide orders dated 29.08.2024 of Accountant General)



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / (प्रशासन)  
Senior Audit Officer (Admn.)

प्रतिलिपि / Copy to:

1. अनु.आ.पुस्तिका / SO Book
2. संबंधित पदाधिकारीगण / Officials concerned
3. निदेशक, क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, पी.ओ. बॉक्स नं. 2417, मेडिकल कॉलेज परिसर, तिरुवनंतपुरम/ The Director, Regional Cancer Centre, P. O Box No. 2417, Medical College Campus, Thiruvananthapuram – 695 011
4. सभी समूह अधिकारी / All Group Officers
5. प्र. म. ले. (ले प - I). / प्र. म. ले. (ले प - II). के साचीव/ Secretary to PAG (Au-I) / PAG (Au-II)
6. वरिष्ठ ले प. अ. / का.स्था., शा. कार्यालय, तृशूर / कोच्ची / Sr.AO/OE, Br.Office, Thrissur/Kochi
7. सभी शाखा कार्यालय / All Branch Offices
8. वरिष्ठ ले प. अ. / प्रशा. (ले प - II) / Sr.AO/Admn. (Au- II)
9. का.स्था. (प्रशा./बिल/रोकड़/हक.) ले प - I / ले प - II / OE (Admn/Bills/Cash/Entt) Au-I/Au-II
10. पेंशन इकाई / Pension Unit
11. पीएओ I, II और III / PAO I, II, III
12. गो. कक्ष/ हिन्दी कक्ष/ आई ए अनुभाग-ले प.- I / ले प.-II / C.Cell/Hindi Cell/IA Section- Au-I/Au-II
13. सेवा संघ / Service Associations
14. सूचना पट्ट / Notice Board
15. व्यक्तिगत फ़ाइल / Personal File